कार्यालय, जिला पंचायत–जशपुर (छ0ग0)

/ / विज्ञापन / /

क्रमांक / 80 / प्र.म.आ.यो.ग्रा. / विज्ञा. / जि.पं. / 2025 जशपुर, दिनांक 08/04/2025

संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / 891 / 274 / प्र.मं.आ.यो.–ग्रा. अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 30 / 07 / 2024 द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत विकासखण्डवार **आवास मित्र / समर्पित मानव संसाधन** का सेवा लिया जाना है इस वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 22 / 04 / 2025 अपरान्ह 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र में दर्शित किये गये शैक्षणिक योग्यता, आदि प्रमाण पत्रों तथा नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटो के साथ **मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर के नाम से पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा।** निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र	जनपद पंचायत	रिक्त कलस्टर की संख्या	कलस्टर का नाम	कलस्टर में शामिल पंचायत	रिमार्क
1	बगीचा	13	बच्छरांव	बच्छरांव	
2			बेरेकोना	बेरेकोना	
3			भितघरा	भितघरा	
4			बुटंगा	बुटंगा, गायलुंगा	
5			चम्पा	चम्पा, फुलझर	
6			छिरोडीह	छिरोडीह	
7			हर्राडीपा	हर्राडीपा, नन्हेसर	
8			जुरगुम	जुरगुम	
9			कवई	कवई	
10			खाखरा	खाखरा	
11			रेंगले	रेंगले	
12			सरबकोम्बो 2	सरबकोम्बो 2	
13			सुतरी	सुतरी	
14	दुलदुला	4	जामटोली	लोरो, बरपानी, चापाटोली, जामपानी, जामटोली, झरगांव, कसतुरा, कोरना	
15			करडेगा	बंगुरकेला, सपघरा, गट्टीबुड़ा, गोड़ाम्बा, करडेगा, मकरीबंधा	
16			पतराटोली	छेरडांड़, रायडीह, भुसरीटोली, चराईडांड़, पतराटोली, खटंगा, वासुदेवपुर	
17			केन्दापानी	सिमड़ा, मयुरचुंदी, केन्दापानी, चटकपुर, सिरिमकेला	
18	कांसाबेल	2	कांसाबेल	कांसाबेल	
19			फरसाजुड़वाईन	फरसाजुड़वाईन	

E:\PMAY-G\PMAY\memo-Pmay letter 2024.docx

20	कांसाबेल	3	चिडोरा	चिडोरा	
21			नरियरडांड़	नरियरडांड़	
22			सूजीबहार	सूजीबहार, ढुढरूडांड़	
23	कुनकुरी	2	कण्डोरा	कण्डोरा	
24			बनकोम्बो	बनकोम्बो	
25	मनोरा	2	खरसोता	खरसोता, डड़गांव	
26			मधवा	मधवा, लुखी, कपरोल	
27	पत्थलगांव	3	बहनाटांगर	बहनाटांगर	
28			किलकिला	किलकिला	
29			कुड़केलखजरी	कुड़केलखजरी	
30	फरसाबहार	3	दलटोली	दलटोली, कोनपारा	
31			सुण्डरू	सुण्डरू	
32			खुटगांव	खुटगांव	

अर्हता :–

1. **कलस्टर निर्माण :–** जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया गया है। निर्धारित कलस्टर में शामिल पंचायत के निवासी ही आवेदन कर सकते है। निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही अभ्यर्थी के आवेदन को संबंधित कलस्टर में शामिल किया जावेगा। प्रत्येक समूह में 01 **''समर्पित मानव संसाधन''** रखा जावेगा यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा, परंतु कोई ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जाएगा।

2. **शैक्षणिक योग्यता :–**
   1. बीई/डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी **''समर्पित मानव संसाधन''** चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
   2. **''समर्पित मानव संसाधन''** के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिणिक अर्हता 12 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
   3. चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर चयन किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर से सेवा ली जावेगी।
   4. **''समर्पित मानव संसाधन''** के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्वसहायता समूह के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन, बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते हैं।

3. **चयन का आधार :–** अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–
   1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण – न्यूनतम 65 अंक
   2. बी.ई./डिप्लोमा उत्तीर्ण – 15 अंक
   3. पूर्व में कार्यरत आवास मित्र – 20 अंक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर।
   4. बेयर फुट टेक्निशियन – 10 अंक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर।

5. महिला स्वसहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी – 10 अंक। (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर।
6. समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति देंगे।
7. आयु के लिए 10 वीं की अंकसूची मान्य की जायेगी।

4. **आवेदन** :– जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे, एवं निवास प्रमाण पत्र के आधार पर क्लस्टर निर्धारित किया जावेगा।

5. **आयु** :– **''समर्पित मानव संसाधन''** हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। आयु तिथि गणना 01.01.2025 से की जायेगी।

6. **चयन समिति** :– जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे।

जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित कलस्टर में ''समर्पित मानव संसाधन'' के रूप में ली जावेगी।

7. **प्रोत्साहन राशि** :– समर्पित मानव संसाधन को प्रति पूर्ण आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी :–
1. समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास पूर्णता पर 1000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
2. समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
3. 300 रूपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले–आउट होने पश्चात्।
4. 300 रूपये प्रति आवास जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
5. 400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की/दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात्।

8. **राशि का भुगतान** :– ''समर्पित मानव संसाधन'' को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत 1-7% Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।

9. **अवधि की गणना** :– ''समर्पित मानव संसाधन'' के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी, साथ ही मार्गदर्शिका के

अनुसार समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।

10. **जॉब चार्ट :–**

- हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
- 12 माह की समय–सीमा में आवास पूर्ण कराना।
- आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
- हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
- आवास निर्माण के स्टेज वाईस जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entery सुनिश्चित कराना।

11. **विशेष :–** चयनित ''समर्पित मानव संसाधन'' प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में शासन–प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों को पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रकाशित विज्ञापन एवं निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप का अवलोकन जिला जशपुर के वेबसाईट www.jashpur.gov.in पर देखा जा सकता है।

12. किसी भी स्तर पर चयन संबंधी कोई भी निर्णय अथवा नियम व शर्तों में संशोधन जिला स्तरीय समिति द्वारा की जा सकती है।

नोट :–''आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन'' का चयन आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

AK

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 804 /प्र.म.आ.यो.ग्रा./विज्ञा./जि.पं./2025 जशपुर, दिनांक 08/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर (छ.ग.) अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को जिले के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
4. जिला सुचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला जशपुर को जिला जशपुर की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत...................................जिला जशपुर को सूचनार्थ। जनपद एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से प्रचार–प्रसार भी करवाना सुनिश्चित करें।

AK

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

E:\PMAY-G\PMAY\memo-Pmay letter 2024.docx